



मत्स्य विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य पोषित योजनाओं के लाभ लेने हेतु आवेदन करता का उपयोगकर्ता पुस्तिका



श्री योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश



डॉ० संजय कुमार निषाद
माननीय मंत्री



डॉ० रजनीश दुबे, आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव




श्री प्रशांत शर्मा, आई.ए.एस.
निदेशक

Design & Developed By – Margsoft Technologies Pvt.Ltd.

मत्स्य विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य पोषित योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु विभागीय

<https://fisheriesup.org/> पोर्टल का उपयोग करें |

**मत्स्य विभाग**
उत्तर प्रदेश सरकार

मुख्य जानकारी पर जाएँ | स्क्रीन रीडर का उपयोग

G20भारत 2023INVEST UPआज़ादी का अमृत महोत्सव

मुख्य पृष्ठ हमारे बारे में योजनाएँ अन्य संस्थाएँ सूचना का अधिकार प्रकाशन अधिनियम / गैजेट हमसे संपर्क करें महत्वपूर्ण लिंक

आवेदन करें लॉगिन करें अधिकारी लॉगिन

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पांच साल (2020-2025) की अवधि में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नौली क्रांति लाना है। इस योजना के माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

[विवरण देखें](#)



श्री योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश



डॉ० संजय कुमार निषाद
माननीय मंत्री



डॉ० रजनीश दुबे, आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव



श्री प्रशांत शर्मा, आई.ए.एस.
निदेशक



नवीनतम अपडेट

मत्स्य विकी अथवा शिकार माही या मत्स्य आखेट करने वाले किसान भाई अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

Date : 18-May-2023 | [↗](#)

चिकित्सा सहायता के सम्बन्ध में शपथ पत्र

Date : 15-May-2023 | [↗](#)

सामूहिक दुर्घटना बीमा पत्रक डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Date : 19-May-2023 | [↗](#)

उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष से संबंधित योजनाओं की गाइडलाइन्स

Date : 19-May-2023 | [↗](#)



प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई) 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पांच साल (2020-2025) की अवधि में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नौली क्रांति लाना है।

[विवरण देखें](#)



मत्स्य पालक कल्याण कोष

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ/मत्स्य पालक एवं उनके परिवारों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु विभाग में कोई विशेष कल्याणकारी योजना संचालित न होने तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए।

[विवरण देखें](#)



निषादराज बोट सक्सीडी योजना

प्रदेश में मत्स्य पालकों एवं मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्याखेट एवं नदियाँ/जलाशयों में मत्स्य प्रबंधन व संरक्षण के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के लिए जलाशयों, तालाबों, नदियों एवं अ...

[विवरण देखें](#)

परियोजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को अपने यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा विभागीय पोर्टल पर लॉग-इन करना अनिवार्य है यदि आवेदन करता के पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो वह स्वयं को पंजीकृत कर यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है


नवीन रजिस्ट्रेशन हेतु (नए आवेदक /लाभार्थी पंजीकरण करें) पर क्लिक करें

यदि आवेदन करता अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल गया है तो (पासवर्ड भूल गए है ?) पर क्लिक करें


नवीन पंजीकरण / यूजर नेम और पासवर्ड पुनः प्राप्त करने हेतु आवेदन करता का मोबाइल नंबर सत्यापन अनिवार्य है

नाम / यूजर नेम एवं मोबाइल नंबर दर्ज करने उपरान्त (OTP प्राप्त करें) पर क्लिक करें


दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त 4 अंको के **OTP** को दर्ज करने उपरान्त (पुष्टि करें) पर क्लिक करे



मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाने के उपरान्त, आवेदन करता को अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाना होगा (जिसके माध्यम से वह पोर्टल पर लॉग-इन कर पाएगा)



- यूजर नेम केवल छोटे वर्णों(अक्षरों) का ही मान्य है
- पासवर्ड कम से कम 6 अंको का होना चाहिए
- यूजर नेम व पासवर्ड दर्ज करने के उपरांत (पंजीकरण सत्यापन के लिए क्लिक करें) पर क्लिक करे
- पंजीकरण के उपरांत आवेदन करता को उसके दर्ज मोबाइल नंबर पर यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा



लॉग-इन करने के उपरांत आवेदन करता परियोजनाओं का विस्तृत एवं संक्षिप्त (हिंदी/इंग्लिश) विवरण अपने डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकता हैं तथा परियोजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता हैं



मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



Dashboard Scheme Registration Profile Logout

Salil Ali

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

होम / प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

योजना की गाइडलाइन्स (हिंदी)

योजना की गाइडलाइन्स (इंग्लिश)

FFPO GUIDELINES PMMSY

शामनादेश



निजी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश

आवेदन करें



निजी भूमि पर तालाब निर्माण (खारा जल) एवं प्रथम वर्ष निवेश

आवेदन करें



मीठे जल में बायोफ्लॉक तालाब निर्माण

आवेदन करें



मत्स्य बीज हैचरी निर्माण

आवेदन करें



नये रियरिंग यूनिट तालाब निर्माण

आवेदन करें



वृहद री-सर्कुलेटरी सिस्टम/वायो फ्लाक 50 टैंक 4 मी0 व्यास

आवेदन करें



मध्याकार री-सर्कुलेटरी सिस्टम/मध्याकार वायो फ्लाक 25 टैंक 4 मी0 व्यास

आवेदन करें



लघु री-सर्कुलेटरी सिस्टम

आवेदन करें



बैकयार्ड री-सर्कुलेटरी सिस्टम

आवेदन करें



इंमुलेटेड व्हीकल्स

आवेदन करें



मोटर साइकिल विद आइसबॉक्स

आवेदन करें



साइकिल विद आइसबॉक्स

आवेदन करें



श्री व्हीलर विद आइसबॉक्स

आवेदन करें



लघु मत्स्य आहार मिल 2 टन प्रति दिन क्षमता

आवेदन करें



मध्याकार मत्स्य आहार मिल 8 टन प्रति दिन क्षमता

आवेदन करें



वृहद मत्स्य आहार मिल 20 टन प्रति दिन क्षमता

आवेदन करें



मत्स्य आहार प्लांट 100 टन प्रति दिन

आवेदन करें



मनोरंजन मात्स्यिकी को प्रोत्साहन

आवेदन करें



पेन संवर्धन

आवेदन करें



कियोस्क निर्माण / सजावटी मछली कियोस्क

आवेदन करें



जिंदा मछली विक्रय केन्द्र

आवेदन करें



केज संवर्धन

आवेदन करें



मोबाइल लैब/क्लीनिक

आवेदन करें



एक्सटेंशन एंड सपोर्ट सर्विस /मत्स्य सेवा केंद्र

आवेदन करें



बैकयार्ड सजावटी मछली रियरिंग यूनिट

आवेदन करें



मध्याकार सजावटी मछली रियरिंग यूनिट

आवेदन करें



इंटीग्रेटेड ऑनमिंटल फिश यूनिट (बीडिंग एंड रियरिंग) मीठा जल

आवेदन करें



फेश वाटर आरनामेंटल फिश बूड बैंक की स्थापना

आवेदन करें



शीत गृह/आइस प्लांट निर्माण (50 टन क्षमता)

आवेदन करें

आवेदन से पूर्व आवेदन करता को अपनी प्रोफाइल सम्बंधित सूचना भरना अनिवार्य हैं

नोट :- प्रोफाइल सम्बंधित सूचना एक बार सुरक्षित करने उपरान्त संशोधित नहीं की जा सकती हैं

The screenshot shows the 'Profile' page of the 'मत्स्य विभाग' (Fisheries Department) website. A modal window with a red 'X' icon displays the message: 'आवेदन करने से पहले अपना प्रोफाइल पूरा करें।' (Complete your profile before applying). The background form contains fields for: Aadhaar Card Number, Name, Phone, Email, DOB, Age, Gender, Caste, Sub Category, and Pointed Beneficiaries Category. The 'Saif Ali' button is visible at the bottom of the modal.

प्रोफाइल सम्बंधित सूचना हर परियोजना के लिए सामान्य होंगी जिसको पूर्ण करने के उपरांत ही परियोजना में आवेदन किया जा सकता हैं

The screenshot shows the 'Profile' page with a modal window displaying a green checkmark icon and the message: 'Your profile has been completed successfully.' Below this, it says: 'आपका प्रोफाइल सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है।' (Your profile has been successfully completed). The background form is now filled out with example data: Aadhaar Card Number (387084613022), Name (Saif Ali), Phone (8299044648), Email, DOB, Age (30), Gender (Male), Caste, Sub Category, and Pointed Beneficiaries Category. The 'OK' button is visible at the bottom of the modal.

आवेदन से पूर्व आवेदन करता भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु गाइडलाइन्स का विस्तृत एवं संक्षिप्त (हिंदी/इंग्लिश) विवरण प्राप्त कर सकता है | परियोजना में आवेदन हेतु (आवेदन करे) पर क्लिक करें



मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



Dashboard Scheme Registration Profile Logout

Sign All

निजी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश

होम / निजी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश

निर्माण - 1.5 मीटर गहराई का इनलेट आउटलेट सहित तालाब निर्माण कराया जाता है तत्पश्चात बोरिंग की व्यवस्था व मानक अनुसार मत्स्य बीज का संचय किया जाता है। मत्स्य पालन की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होती है।

प्रथम वर्ष निवेश - निजी भूमि पर निर्मित तालाब में प्रथम वर्ष के लिए मत्स्य बीज, मत्स्य पट्टक आहार, दवा, बोरिंग एवं खाद आदि की उपलब्धता हेतु अनुदान की व्यवस्था

पात्रता के नियम एवं शर्तें

निर्माण -


- निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2.0 हे० एवं त्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइविलिटी ग्रुप व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे० की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा तथा एफ०एफ०पी०ओ० की सीमा CAC द्वारा तय की जाएगी
- इकाई लागत - ₹7.0 लाख प्रति हे०
- अनुदान-सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु०जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत

प्रथम वर्ष निवेश -

- निजी भूमि या भूमि का न्यूनतम 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा लीज होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए 2.0 हे० एवं त्वयं सहायता समूह/ ज्वाइन्ट लाइविलिटी ग्रुप, एफ०एफ०पी०ओ० व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे० की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा
- इकाई लागत - ₹ 4.0 लाख प्रति हे०
- अनुदान - सामान्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु०जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत

आवेदन करें

निजी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश



(आवेदन करे) पर क्लिक करने उपरांत आवेदन करता को घोषणा स्वीकार करनी होगी कि परियोजना में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य रहेगा/रहेगी

Dashboard

Scheme Registration

Profile

Account Settings

Help

Logout

साई आर

आवेदन करें

परिचय

प्रथम वर्ष निवेश - खाते पानी / सेलाइन / शारीय क्षेत्रों में निर्मित मिनी भूमि के तालाबों में प्रथम वर्ष के लिए मत्स्य बीज, मत्स्य पूरक आहार, दवा, परेन्ट एवं खाद आदि की उपलब्धता हेतु अनुदान की व्यवस्था

निर्माण - खाते पानी / सेलाइन / शारीय क्षेत्रों में 1.5 मीटर गहराई का इनलेट आउटलेट सहित तालाब निर्माण कराया जाता है। तत्पश्चात वोटिंग की व्यवस्था व मानक अनुसार मत्स्य बीज का संघय किया जाता है। मत्स्य पालन की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होती है

ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ निम्न अभिलेख वांछित हैं:

✓ आवेदनकर्ता की फोटो/ Applicant Photo
✓ आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड)/ Identity card
✓ आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट)/ Bank passbook copy
✓ आवेदनकर्ता के पट्टे की कापी
✓ जाति प्रमाण पत्र (एसटी / एससी)
✓ शपथ पत्र (स्वहस्ताक्षरित)

☐ मैं/हम एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं अन्य कोई वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। *

आवेदन करें

बंद करें

आवेदन पत्र 4 चरणों में विभाजित है जिनको चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करना अनिवार्य हैं पत्र के प्रथम चरण में परियोजना सम्बन्धित सूचना दर्ज करनी होगी



मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



Dashboard Scheme Registration Profile Logout

Self All

निजी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश

Home / प्रधानमंत्री मत्स्य सन्मदा योजना

Project Description/
परियोजना का विवरण

STEP 1

Source of Fund/
निधि का स्रोत (रु.)

STEP 2

Other/
अन्य विवरण

STEP 3

Required Document/
आवश्यक दस्तावेज़

STEP 4

Scheme Information/ योजना का विवरण

*Indicates mandatory fields

Scheme/
योजना *

प्रधानमंत्री मत्स्य सन्मदा योजना

Sub Scheme/
परियोजना *

निजी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश

Beneficiaries Category /
लाभार्थी श्रेणी *

फिशरी फार्मेट प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन/कम्युनिटी (FFPOs /Cs)

Have you or any member of your family taken advantage of this scheme earlier?
क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पहले इस योजना का लाभ ले चुके है? *

No

Project Description/ परियोजना का विवरण

* Maximum area should be 2 Hectare for Individual
* Maximum area should be 20 Hectare for Group

District/
ज़िला *

Lucknow

Tehsil/
तहसील *

Lucknow

Area Type/
क्षेत्र का प्रकार *

Urban

Post Office/
डाक-घर *

Kalyanpur

Pin Code/
पिन कोड *

Pincode

Full Address/
पूरा पता *

Kalyanpur

Project Name/
परियोजना का नाम *

निजी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश

Number of members /
सदस्यों की संख्या *

5

Project Area (in Hectares) /
परियोजना का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) *

1

Project Cost/
परियोजना लागत *

1100000

Land/
भूमि *

Possession

Khasra number/
खसरा संख्या *

0000

Khasra Area (in Hectares)/
खसरा क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) *

1

Building/
आवास *

Yes

Machinery/
मशीनरी *

Yes

Source of water supply/
जलसुक्ति का स्रोत *

Electric Motor Pump Set

Electricity Connection/
विद्युत कनेक्शन है? *

Yes

Khatuani/Consent Letter of the land owner/
पट्टे धारक का सहमति पत्र एवं भू-स्वामी की सहमति *

Choose File Fisheries Inspection App.pdf

Trained/experienced in relevant field/
क्या सम्बंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित/अनुभव है? *

6

Was assistance received earlier for a similar project/क्या समान परियोजना के लिए पहले भी सहायता प्राप्त की थी

Scheme/
योजना *

None

Save

Continue

आवेदन पत्र के द्वितीय चरण में निधि के स्रोत से सम्बन्धित सूचना दर्ज करनी होगी

Dashboard
Scheme Registration
Profile
Logout
Saif Ali

Project Description/
परियोजना का विवरण
Source of Fund/
निधि का स्रोत (रु.)
Other/
अन्य विवरण
Required Document/
आवश्यक दस्तावेज़
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4

Source of Fund/ निधि का स्रोत (रु.)
* indicates mandatory fields

It is mandatory to take a bank loan of at least 25% of the beneficiary share in a project of more than 20 lakhs./
20 लाख से अधिक की परियोजना में लाभार्थी अंश का कम से कम 25% बैंक ऋण लेना अनिवार्य है।

Beneficiary portion will be spent through bank loan or will be spent from own resources. If through bank, attach bank consent letter./
लाभार्थी अंश (लाभार्थी अंश बैंक ऋण के माध्यम से व्यय किया जायेगा अथवा स्वयं संसाधन से व्यय किया जायेगा। यदि बैंक के माध्यम से हो तो बैंक सहमति पत्र संलग्न करें।)

Beneficiaries 60% Share (Rs.) स्व. हिस्सा*	Bank Loan/ बैंक ऋण	Bank Consent Letter/ बैंक सहमति पत्र
660000.00	Bank loan	Choose File No file chosen
State Share 40 % of Total Subsidy (Rs.)/ राज्य अंश*	Central Share 60 % of Total Subsidy (Rs.)/ केंद्रीय अंश (एन.एफ.डी.डी. की सहायता)*	Total Subsidy Amount (Rs.)/ कुल सब्सिडी राशि (रु.)*
176000.00	264000.00	440000.00

Back
Save
Continue

आवेदन पत्र के तृतीय चरण में अपेक्षित उत्पादन एवं अन्य सम्बन्धित सूचना दर्ज करनी होगी

Dashboard
Scheme Registration
Profile
Logout
Saif Ali

Other/ अन्य विवरण
* indicates mandatory fields

Expected Output/अपेक्षित उत्पादन

Production (kg)/ उत्पादन (कि.ग्रा.)	Net Income (Rs.)/ कुल आय (रु.)	Actual Income (Rs.)/ वास्तविक आय (रु.)
Production (kg)	Net income (Rs.)	Actual income (Rs.)

Whether Preliminary Project Report (PPR) is enclosed? If the cost of the project exceeds Rs.50 lakh/
क्या प्राथमिक परियोजना (PPR) रिपोर्ट संलग्न है? यदि परियोजना की लागत 50 लाख रुपये से अधिक हो तो *

No

PPR Report/
पीपीआर रिपोर्ट

Choose File No file chosen

Whether applicant is Antyodaya / BPL card holder/
क्या आवेदक अन्त्योदय / BPL कार्ड धारक है *

No

Enter the Antyodaya / BPL card number./
कार्ड नंबर दर्ज करें।

BPL card number

Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, those who were earlier selected in any project component, but refused to set up the project after approval, that is, have been back out, they will Not be eligible for re-selection in the same project./
प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत किसी परियोजना घटक में इससे पूर्व में चयनित थे किन्तु स्वीकृति के उपरान्त परियोजना स्थापित करने से मना कर दिया हो अर्थात बैंक आउट हो

No

Back
Save
Continue

आवेदन पत्र के सभी चरणों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने उपरांत **(Finish)** बटन पर क्लिक करे

DashboardScheme RegistrationProfileLogout

STEP 1STEP 2STEP 3STEP 4

Required Document/ आवश्यक दस्तावेज़

Document Type/
दस्तावेज़ का प्रकार

आवेदनकर्ता की फोटो/ Applicant Photo *

आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड)/ Identity card *

आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट)/ Bank Statement *

आवेदनकर्ता के पढ़े की कापी(आवेदन के समय पढ़ा अवधि कम से कम 7 वर्ष हो) *

शपथ पत्र (स्वहस्ताक्षरित) *

Choose Files

beema.pdf

* indicates mandatory fields

Document format Should jpeg |jpg|png|pdf

Document size Should not grater than 500kb

Back

Save

Finish

आवेदन पत्र चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने उपरांत शपथ पत्र पर सहमती दर्ज करते हुए आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने हेतु **(Final Submit to Department)** बटन पर क्लिक करे

DashboardScheme RegistrationProfileLogout

परियोजना का विवरण

STEP 1

Required Document/ आवश्यक दस्तावेज़

Document Type/
दस्तावेज़ का प्रकार

आवेदनकर्ता की फोटो/ Applicant Photo *

आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड)/ Identity card *

आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट)/ Bank Statement *

आवेदनकर्ता के पढ़े की कापी(आवेदन के समय पढ़ा अवधि कम से कम 7 वर्ष हो) *

शपथ पत्र (स्वहस्ताक्षरित) *

Choose Files

beema.pdf

* indicates mandatory fields

Document format Should jpeg |jpg|png|pdf

Document size Should not grater than 500kb

Back

Save

Finish

शपथ-पत्र

1- मूल्य विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के सभी बिन्दुओं की मुझे पूर्ण जानकारी है। योजना की कुल लागत एवं लाभार्थी अंश आदि की जानकारी प्राप्त है। योजना को भली-भाँति समझ कर विचारित प्रश्नों पर मैं योजना के लाभ के लिए आवेदन कर रहा हूँ (मूल्य विभाग से प्राप्त धनदाशि के अतिरिक्त जो भी धनदाशि योजना में खर्च होगी उसे मैं अपने संशोधन/बैंक खाता प्राप्त कर खर्च करूँगा/करूँगी)।

2- योजना का निर्माण धरान के उपरांत स्वीकृति प्राप्त होने पर तीन माह में पूर्ण करा लिया जायेगा।योजना के प्रबन्धन की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी।

3- योजना का निर्माण/पूर्ण करने में विफल होने एवं योजना क्रियान्वयन न करने की वशा में मूल्य विभाग उओओ लखनऊ को अधिकार होगा कि वह अपनी अनुदान राशि 12 प्रतिशत प्रयोजन सहित भुगतान की शर्त पर वापस कर ले मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

4- मैं किसी बैंक से डिफरेंस नहीं हूँ एवं परियोजना के लिए पूर्ण में मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा कोई अनुदान धनदाशि की सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

5- परियोजना पर प्रयोजन एवं मूल्य बीज का निरीक्षण करने का अधिकार मूल्य विभाग उत्तर प्रदेश को रहेगा एवं उसके अधिकारी निरीक्षण करते है तो मेरे उनके कार्य में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा/करूँगी ।

6- परियोजना संचालन में उत्तर प्रदेश सरकार/भाटा सरकार सहित भविष्य में जो नियम बनायेगी उनका अनुपालन करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ ।

7- योजना क्रियान्वयन में मुझे कोई हानि होती है तो मेरे उसके नुआन/हानि की प्रतिकुल हेतु विभाग पर कोई दाय नही करूँगा। यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई हानि होती है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

8- मैं प्रतिबद्धित मूल्य प्रभावितों का पालन नहीं करूँगा/ करूँगी ।

9- निजी भूमि पर नये सालाओं का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश परियोजना की विस्तृत गाइडलाइन का अध्ययन कर लिया है ।

नोट :

मेरे द्वारा मूल्य विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के सभी दिशा निर्देशों को पढ़ लिया / डाउनलोड कर लिया है ।

आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने के पश्चात विभाग कि ओर से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा अतः त्रुटि कि निम्नोदारी मेरी होगी । यदि इस कारण मेरा आवेदन निरस्त किया जाता है तो मैं किसी प्रकार का दावा नहीं करूँगा/करूँगी

☐ यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम पुत्र/पुत्री यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी और संलग्न सभी दस्तावेज मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। और दस्तावेज संलग्न किए गए हैं । *

Final Submit to Department

आवश्यक दस्तावेज़

STEP 4

* indicates mandatory fields

Document format Should jpeg |jpg|png|pdf

Document size Should not grater than 500kb

Back

Save

Finish

कॉपीराइट © 2023 - सर्वाधिकार सुरक्षित - योजना निगदाजी प्रणाली और निम्नलिखित एजेंडाएजेंडा

यह वेबसाइट: मासिक/पत्र/दैनिकी/दैनिकी/दैनिकी (पी) निम्नलिखित द्वारा डिजाइन व डेवलप की गई

शपथ पत्र पर सहमती दर्ज करने उपरांत आपका पत्र विभागीय कार्यवाही हेतु सबमिट हो जाता है

Dashboard

Scheme Registration

Profile

Logout

परियोजना का विवरण

STEP 1

Required Document/ आवश्यक दस्तावेज

Document Type/ दस्तावेज का प्रकार

आवेदनकर्ता की फोटो/ Applicant Photo *

आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड)/ Identity card *

आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट)

आवेदनकर्ता के पट्टे की कापी (आवेदन के समय पट्टा अवधि कम से कम 7 वर्ष हो)

शपथ पत्र (सहस्ताहति) *

शपथ-पत्र

- मत्स्य विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के सभी बिन्दुओं की मुझे पूर्ण जानकारी है। योजना की कुल लागत एवं लाभार्थी अंश आदि की जानकारी प्राप्त है। योजना को भली-भाँति समझ कर विभागीय पत्रों पर मैं योजना के लाभ के लिए आवेदन कर रहा हूँ मत्स्य विभाग से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त जो भी धनराशि योजना में खर्च होगी उसे मैं अपने संसाधनों/बैंक ऋण प्राप्त कर खर्च करूँगा/करूँगी।
- योजना का निर्माण प्रदान के उपरान्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर तीन माह में पूर्ण करा दिया जावेगा योजना के प्रबन्धन की सारी जिम्मेवारी मेरी होगी।
- योजना का निर्माण/पूर्ण करने में विफल होने एवं योजना क्रियान्वयन न करने की दशा में मत्स्य विभाग उपाय लक्षण को अधिकार होगा कि वह अपनी अनुदान राशि 12 प्रतिशत शर्त
- मैं किसी बैंक से डिफाल्ट कर
- परियोजना पर प्रजनन एवं
- परियोजना संचालन में उत्तर
- योजना क्रियान्वयन में मुझे क
- कोई हानि होती है तो उसके
- मैं प्रतिबन्धित मत्स्य प्रजाति
- मिनी भूमि पर तालाब निर्मा

✓

Your Application has been submitted successfully.

OK

Final Submit to Department

आवश्यक दस्तावेज

STEP 4

* indicates mandatory fields

Document format Should jpeg |jpg|png|pdf

Document size Should not grater than 500kb

Back

Save

Finish

आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट करने के उपरांत एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्राप्त हो जाति है जिसको आवेदन करता डाउनलोड अथवा प्रिंट के माध्यम से सुरक्षित रख सकता है

Dashboard

Scheme Registration

Profile

Logout

Salt Ali

ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

मत्स्य विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश

Application Number/आवेदन संख्या	113331/23-24/PMMSV/01/STP
Applicant Name/आवेदक का नाम	Salt Ali
Father's Name/पिता का नाम	Test
Gender/लिंग	Male
Mobile Number/मोबाइल नंबर	8299044648
Caste /जाति	OBC
Sub Category/उप श्रेणी	Other
District/जनपद	Lucknow
Scheme Name/योजना का नाम	प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्ध योजना
Sub Scheme Name/परियोजना का नाम	मिनी भूमि पर नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश
Area/क्षेत्रफल	1 Hectare
Applied Date/आवेदन की तिथि	29/05/2023

Print PDF

आवेदन करता अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध **Scheme Registration** बटन पर क्लिक करके
आवेदन पत्र की स्थिति एवं दर्ज पत्र का विवरण प्राप्त कर सकता है


मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



Dashboard Scheme Registration Profile Logout

Saif Ali

View Applications

Home / View Applications

S.No.	Scheme Name	Sub Scheme	Applicant Name	Application No	Gender	Category	Division	District	Applied Date	Status	Action
1	प्रधानमंत्री मत्स्य श्रमपदा योजना	मिजी श्रुति पट नये तालाबों का निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश	Saif Ali	113331/23-24/PMMSY/01/STP	Male	OBC	Lucknow	Lucknow	29/05/2023	Pending	View Timeline
2	प्रधानमंत्री मत्स्य श्रमपदा योजना	मिजी श्रुति पट तालाब निर्माण (सादा जल) एवं प्रथम वर्ष निवेश	Saif Ali	113332/23-24/PMMSY/02/STP	Male	OBC	Lucknow	Lucknow	29/05/2023	Pending	View Timeline